भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2042
22 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

2042. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डीः
सुश्री एस॰ जोतिमणिः
श्री श्रीधर कोटागिरीः
श्री तालारी रंगैय्याः
डा॰ बीसेट्टी वेंकट सत्यवतीः
श्री सु. थिरुनवुक्करासरः
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः
श्री पी॰ सी॰ गद्दीगौदरः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 संकट के दौरान प्रधनमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना को आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है(

(ख) क्या सरकार के पास भारत में स्ट्रीट वेंडरों की कुल संख्या के संबंध में कोई डाटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है(

(ग) क्या सरकार आय सहायता प्रदान करने अर्थात इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने पर विचार कर रही है(

(घ) इस योजना के अंतर्गत आज की तिथि तक प्राप्त आवेदनों, आबंटित तथा संवितरित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है(

(ङ) आगामी वर्षों में योजना कवरेज में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं(और

(च) क्या सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों की इंटरनेट सुलभता के स्तर का अनुमान लगाया है जिससे ऋणों की वापसी अदायगी में मदद मिलेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिनांक 1 जून, 2020 को प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि स्कीम (पीएम स्वनिधि) की शुरूआत की है । इसका लक्ष्य देश भर में लगभग 50 लाख पथ विक्रेताओं को 1 वर्ष की अवधि हेतु 10,000 रु. तक के संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान करना है । इसमें ऋण के नियमित भुगतान पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी और निर्धारित डिजिटल लेन-देन करने पर 100 रु. प्रति माह के कैश बैक का प्रावधान भी है । इसके अतिरिक्त, समय पर अथवा समय से पूर्व भुगतान चुकाने पर पथ विक्रेता बड़ी हुई सीमा के साथ अगले चक्र के कार्यशील पूंजी ऋण के पात्र होंगे । स्कीम प्रबंधन के प्रयोजन हेतु, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से आईटी मंच से माध्यम से एक संपूर्ण समाधान विकसित किया गया है । स्कीम के अंतर्गत ऋण प्रदायगी संबंधी कार्रवाई की शुरूआत दिनांक 2 जुलाई, 2020 से कर दी गई है।

(ख) पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 का कार्यान्वयन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियमों और स्कीमों को तैयार करके किया जाता है । अधिनियम के प्रावधान के अनुसार,टाउन वैडिंग समिति स्कीम में निर्धारित अवधि और ढ़ंग से अपने अधिकार-क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी मौजूदा पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण करते हैं । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना के अनुसार, अभी तक अभिज्ञात पथ विक्रेताओं की संख्या 18,25,776 है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक- I में दिया गया है ।

(ग) प्रधानमंत्री स्वनिधि का लक्ष्य शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अनुमानत: लगभग 50 लाख ऐसे पथ विक्रेताओं जो शहरी क्षेत्रों में विक्रय कर रहे हैं, को 1 वर्ष की अवधि हेतु 10,000 रु. तक का संपार्श्विक मुक्त कार्य पूंजी ऋण प्रदान करना है ।

(घ) पीएम स्वनिधि स्कीम का अनुमोदित व्यय 600 करोड़ रु. है। सितंबर 17, 2020 तक प्राप्त ऋण आवेदनों, स्वीकृत ऋण राशि और संवितरित राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है ।

(ड.) इसकी कवरेज बढ़ाने के लिए, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित पहचान सर्वेक्षण में छूट गए पथ विक्रेताओं और शहरी क्षेत्रों में बिक्री कर रहे ग्रामीण विक्रेताओं को यूएलबी द्वारा जारी संस्तुति पत्र दिखाने पर स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र बनाया गया है । अन्य प्रयासों में पीएम स्वनिधि वेब पोर्टल ऋण प्रदाता संस्थानों और शहरी स्थानीय निकाय प्राधिकारियों हेतु एक मोबाइली एप, संस्तुति पत्र हेतु डिजीटल मॉड्यूल की

शुरूआत करना आवेदन प्रक्रिया के साथ सार्वजनिक सेवा केंद्रों को एकीकृत करना शामिल हैं । इसके अतिरिक्त जुलाई-अगस्त 2020 में रेडियो जिंगल्स का प्रसारण किया गया और हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए गए । इसके अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु विक्रेताओं तक पहुँच बनाने और प्रसारण के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी, शिक्षण और संप्रेषण (आईईसी) सामग्री उपलब्ध कराई गई है ।

(च) जी नहीं ।

अनुलगनक- I

22 सितंबर 2020 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2042 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक - I

अभिज्ञात पथ विक्रेताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या

राज्य का नाम	**अभिज्ञात पथ विक्रेता**
आंध्र प्रदेश	**97,916**
अरुणाचल प्रदेश	**5,290**
असम	**21,418**
बिहार	**65,842**
चंडीगढ़	**21,622**
छत्तीसगढ़	**31,853**
गोवा	**1,151**
गुजरात	**2,13,789**
हरियाणा	**1,03,126**
हिमाचल प्रदेश	**5,529**
जम्मू और कश्मीर	**1,202**
झारखंड	**37,173**
कर्नाटक	**1,17,936**
केरल	**21,658**
मध्य प्रदेश	**94,636**
महाराष्ट्र	**1,10,708**
मणिपुर	**725**
मेघालय	**843**
मिजोरम	**4,605**
नागालैंड	**722**
ओडिशा	**63,222**
पुडुचेरी	**7,235**
पंजाब	**82,646**
राजस्थान	**86,975**
तमिलनाडु	**1,03,011**
तेलंगाना	**2,25,701**
त्रिपुरा	**8,666**
उत्तर प्रदेश	**2,68,756**
उत्तराखंड	**21,188**
पश्चिम बंगाल	**632**
कुल	**18,25,776**

अनुलग्नक- II

22 सितंबर 2020 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2042 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक- II

पीएम स्वनिधि के तहत प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत ऋण राशि, और संवितरित राशि का राज्य वार ब्यौरा (17-09-2020 की स्थिति के अनुसार)

क्र सं.	राज्य	प्राप्त कुल आवेदन	स्वीकृत ऋण राशि (करोड़ रु. में)	संवितरित राशि (करोड़ रु. में)
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	129	0.098	0.027
2	आंध्र प्रदेश	73,465	19.379	2.417
3	अरुणाचल प्रदेश	757	0.356	0.194
4	असम	3,055	0.226	0.014
5	बिहार	28,102	5.283	0.391
6	चंडीगढ़	547	0.275	0.138
7	छत्तीसगढ़	10,858	2.522	0.857
8	दादर नगर हवेली और दमन दीव	838	0.269	0.064
9	दिल्ली	8,007	1.013	0.077
10	गोवा	346	0.161	0.015
11	गुजरात	1,11,333	41.976	2.179
12	हरियाणा	18,282	5.743	0.615
13	हिमाचल प्रदेश	1,063	0.578	0.149
14	जम्मू और कश्मीर	673	0.075	0.016
15	झारखंड	16,148	7.606	1.420
16	कर्नाटक	41,097	10.963	1.209
17	केरल	8,069	4.053	1.304
18	लद्दाख	6	0.000	0.000
19	मध्य प्रदेश	2,79,846	163.300	92.613
20	महाराष्ट्र	1,01,144	16.973	2.687
21	मणिपुर	2,928	0.700	0.170
22	मेघालय	25	0.001	0.000
23	मिजोरम	394	0.184	0.028
24	नागालैंड	39	0.004	0.000
25	ओडिशा	22,529	6.392	0.690
26	पुडुचेरी	1,069	0.083	0.007
27	पंजाब	5,980	1.470	0.083

28	राजस्थान	31,315	8.045	0.620
29	सिक्किम	3	0.000	0.000
30	तमिलनाडु	38,664	13.284	1.983
31	तेलंगाना	2,32,022	88.328	6.865
32	त्रिपुरा	1,534	0.201	0.031
33	उत्तर प्रदेश	2,66,452	60.467	3.622
34	उत्तराखंड	3,089	0.922	0.118
35	पश्चिम बंगाल	1,408	0.181	0.003
	कुल	**13,11,216**	**461.110**	**120.607**